मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2008 (फाल्गुन 14, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) पं. रमेश दुबे, श्री मारोतराव खवसे, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के ग्रामों में वन्य प्राणियों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य, रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में पाले से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सभापति,सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौवनवां से अड़सठवां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री दीवान सिंह पटेल, सभापति, याचिका समिति का सातवां एवं आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. वक्तव्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, दिनांक 18 जुलाई, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 17) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री, दिनांक 26 फरवरी, 2008 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 109) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः) .

6. संविहित संकल्प

निर्धारित समय

15 मि.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाये गए मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में किये गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 34-एक(8)-12-07-दो-अड़तालीस, दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 23, दिनांक 10 जनवरी, 2008 में प्रकाशित किये गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है.".

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि.

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री ग्रामोद्योग, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 3 मार्च, 2008